

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

078- बाड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री जसवंत सिंह गुर्जर

ग्राम मौरौली हाल निवासी पार्वती सदन जी.टी. रोड, धौलपुर राज.

जो बहुजन समाज पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान धौलपुर

दिनांक 3 दिसम्बर 2023

  
हस्ताक्षर

(यशवंत मीना)

रिटर्निंग अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़ी

78- बाड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

**Conduct of Elections Rules, 1961  
(Statutory Rules And Order)**

**FORM 21C**

(See rule 64)

*(For use in General Election when seat is contested)*

**Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.**

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the 078-BARI Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

**Shri JASWANT SINGH GURJAR**  
**GRAM MAURALI HAL NIWASI PARWATI SADAN G.T. ROAD,**  
**DHOLPUR RAJ.** sponsored by **BAHUJAN SAMAJ PARTY** (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – DHOLPUR

Date – 3 December, 2023

  
Signature

(YASHWANT MEENA)  
RETURNING OFFICER  
SUB DIVISIONAL OFFICER & SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, BARI  
78-BARI ASSEMBLY CONSTITUENCY